

## अध्याय—VI

**एयरसेल ग्रुप (डिशनेट वायरलैस लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड तथा एयरसेल सेलुलर लिमिटेड) द्वारा साझा किया गया राजस्व**

### 6.1 एयरसेल ग्रुप की संक्षिप्त रूपरेखा

एयरसेल ग्रुप तीन लाइसेंसी कम्पनियों जिनका नाम मेसर्स एयरसेल लिमिटेड (ए एल), मेसर्स एयरसेल सेलुलर लिमिटेड (ए सी एल) और मेसर्स डिशनेट वायरलैस लिमिटेड (डी डब्ल्यू एल) को समाविष्ट कर बनी हैं। ए सी एल, पूर्ववर्ती मेसर्स आर पी जी सेलुलर लिमिटेड ने अपनी दूरसंचार सेवायें 1994 में चैन्नई में प्रारम्भ की थीं। बाद में, स्टर्लिंग ग्रुप द्वारा प्रवर्तित मेसर्स एयरसेल लिमिटेड ने 1998 के दौरान तमिलनाडु (चैन्नई को छोड़कर) सेवा क्षेत्र में सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किया (पूर्ववर्ती मेसर्स श्रीनिवासा सेलुलर लिमिटेड ए कोयम्बटूर)। यद्यपि ग्रुप ने पैन इण्डिया परिचालन के लिए 2006 में लाइसेंस प्राप्त किया किन्तु वास्तव में यह पैन इण्डिया आपरेटर 2010 में हुआ। एयरसेल ग्रुप जी एस एम प्रौद्योगिकी पर दूरसंचार सेवायें प्रदान करता है।

#### 6.1.1 एयरसेल ग्रुप को प्रदत्त लाइसेंस

ए सी एल ने 1994 में चैन्नई सेवा क्षेत्र के लिए सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किया। ए एल ने 1998 में तमिलनाडु सेवा क्षेत्र का सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किया। इसने बाद में, वर्ष 2006 के दौरान सात<sup>1</sup> सेवा क्षेत्रों में यू ए एस लाइसेंस प्राप्त किया। डी डब्ल्यू एल ने वर्ष 2004 एवं 2006 के दौरान चौदह<sup>2</sup> सेवा क्षेत्रों का लाइसेंस प्राप्त किया। डी डब्ल्यू एल ने एन एल डी, आई एल डी और आई एस पी (आईटी) का भी लाइसेंस प्राप्त किया। पूर्व चैन्नई सेवा क्षेत्र के लिए प्राप्त लाइसेंस 29 नवम्बर 2014 को समाप्त हो गया।

#### 6.1.2 एयरसेल ग्रुप को आवंटित स्पेक्ट्रम

एयरसेल ग्रुप की कम्पनियों को 1 अप्रैल 2010 और 31 मार्च 2015 की रिथिति में एल एस ए के अनुसार आवंटित ग्राहक एक्सेस स्पेक्ट्रम का विवरण निम्नवत है:

<sup>1</sup> आन्ध्रप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुम्बई और राजस्थान।

<sup>2</sup> असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एण्ड कश्मीर, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल।

## तालिका 6.1

एल एस ए	स्पेक्ट्रम की 31 मार्च 2015 की स्थिति (मेगाहर्ट्ज)	माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम	माइक्रोवेव वैक्बोन स्पेक्ट्रम
		(मेगाहर्ट्ज) <sup>3</sup>	
बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र	2x4.4	112	56
कोलकाता	2x4.4	112	0
दिल्ली, मुम्बई	2x4.4	168	0
पश्चिम बंगाल	2x5.6	112	112
राजस्थान	2x6.0	112	112
जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2x6.2	112	112
पूर्वोत्तर	2x6.2	112	112
असम	2x6.2	112	112
तमिलनाडु	2x9.8	112	56
चैन्नई <sup>4</sup>		224	0

स्पेक्ट्रम का अतिरिक्त आबंटन 08 सितम्बर 2014 से किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एयरसेल ग्रुप ने डी ओ टी द्वारा अप्रैल-मई 2010 के दौरान किये गये नीलामी के द्वारा 13<sup>5</sup> एल एस ए में 3जी स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार और मई-जून 2010 के दौरान डी ओ टी द्वारा किये गये नीलामी में आठ<sup>6</sup> एल एस ए में बी डब्ल्यू ए (4जी) स्पेक्ट्रम प्रयोग के लिए अधिकार प्राप्त किया।

### 6.1.3 सकल राजस्व (जी आर), समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) तथा एयरसेल ग्रुप द्वारा भुगतान की गयी राजस्व हिस्सेदारी

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा तिमाही आधार पर स्वनिर्धारण कर ए जी आर के एक निर्धारित प्रतिशत पर एल एफ एवं एस यू सी का भुगतान अपेक्षित है। एयरसेल ग्रुप द्वारा 2010-11 से 2014-15 के पांच वर्षों के दौरान प्रतिवेदित सकल राजस्व, कटौतियां, समायोजित सकल राजस्व एवं भुगतान किया गया राजस्व शेयर (एल एफ एवं एस यू सी) निम्नवत है:

<sup>3</sup> एक कैरियर = 56 मेगाहर्ट्ज।

<sup>4</sup> चैन्नई और तमिलनाडु एल एस एज का सम्मिलन के लिये स्थानान्तरण प्रक्रिया 31 मार्च 2015 तक प्रगति पर था।

<sup>5</sup> आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, पंजाब, ओडिशा, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश (पूर्व), तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

<sup>6</sup> आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार ए जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, पूर्वोत्तर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

## तालिका 6.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अभिदाता (करोड़ में)	सकल राजस्व (जी आर)	कटौतियां	समायोजि त सकल राजस्व (ए जी आर)	जी आर से ए जी आर का प्रतिशत	राजस्व साझेदारी (एल एफ+एस यू सी)
2010-11	5.48	6,671.33	2,083.42	4,587.91	68.77	500.22
2011-12	6.26	8,092.62	3,050.76	5,041.86	62.30	681.33
2012-13	6.01	9,803.26	4,053.17	5,750.09	58.65	718.76
2013-14	7.02	11,299.56	4,159.79	7,139.77	63.19	858.17
2014-15	8.14	13,072.31	4,637.16	8,435.14	64.53	1,007.56
योग		<b>48,939.08</b>	<b>17,984.30</b>	<b>30,954.77</b>		<b>3,766.04</b>

**6.2 एयरसेल ग्रुप द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग**

सी एम टी एस/यू ए एस लाइसेंस के पैरा 19.1 के अनुसार सकल राजस्व में स्थापना प्रभार, विलम्ब शुल्क, हैण्डसेट (या अन्य कोई टर्मीनल उपकरण) की बिक्री से आय, ब्याज, लाभांश, मूल्य वर्द्धित सेवायें, पूरक सेवायें, एक्सेस और इंटरकनेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार से प्राप्त राजस्व, आधारभूत संरचना के मान्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व और कोई अन्य विविध राजस्व आदि का सम्बन्धित व्यय आदि की मद के बगैर घटाये (सेट आफ) शामिल होगा।

आगे, अनुबन्धों का अनुलग्नक III कहता है कि सेवा राजस्व (बिल करने योग्य राशि) सकल रूप में दिखाया जायेगा तथा छूट/कटौती के विवरण अलग से दिखाये जायेंगे।

एयरसेल ग्रुप के अभिलेखों/लेखों की पुस्तकों (जनरल लेजर, जरनल वाउचर, तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, बैलेंस शीट, ए जी आर विवरण आदि) की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन कम्पनियों ने लाइसेंस अनुबन्ध की धाराओं का पालन नहीं किया था जिन्हें अनुवर्ती पैराग्राफ में लाया गया है।

**6.2.1 वितरकों/विक्रेताओं/फ्रेन्चाइजियों को दिये गये प्राथमिक कमीशन को घटाने (नेटिंग आफ) के कारण प्रीपेड राजस्व को कम बताना**

एयरसेल ग्रुप द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि हेतु प्रस्तुत प्रीपेड सेवाओं के डाटा/अभिलेखों की जांच से यह पाया गया कि ए जी आर विवरण (साथ ही साथ वित्तीय विवरणों) में उक्त वर्षों के लिये वितरकों/विक्रेताओं/फ्रेन्चाइजियों को प्रीपेड उत्पादों (एस यू के/आर सी वी/ई-रिचार्ज आदि) की बिक्री पर भुगतान किये गये कमीशन को कम करने के बाद अर्थात् प्रीपेड राजस्व की निबल (नेट) राशि की रिपोर्टिंग की गयी थी। एयरसेल कम्पनियों और वितरकों के बीच हुए अनुबन्ध कहते हैं कि एयरसेल कम्पनियां वितरकों को अनुबन्ध में दी गयी शर्तों के अनुसार प्रति बिक्री पर कमीशन का आफर देगी। आगे, वितरक अनुबन्ध वितरकों को देय किसी कमीशन या दर का उल्लेख नहीं करते हैं और केवल यह कहता है कि समय-समय पर कम्पनी जैसा निर्णय करेगी मार्जिन निर्धारित किया जायेगा।

प्रबंधन ने प्रीपेड उत्पादों की बिक्री पर वितरकों को भुगतान की गयी प्राथमिक कमीशन/मार्जिन की राशि या प्रीपेड राजस्व की कमीशन/मार्जिन की कोई दर (प्रतिशत) प्रस्तुत नहीं किया। इस दृष्टि से, लेखापरीक्षा द्वारा, नमूना लेखा के आधार पर एस ए पी (सैप) पद्धति से प्राप्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के आंकड़ों का परीक्षण किया गया और इन वर्षों में भुगतान किये गये कमीशन/मार्जिन की दर प्रीपेड राजस्व का 5.85 प्रतिशत आयी। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के ए जी आर के विवरण के अनुसार प्रीपेड राजस्व की राशि एवं उससे घटाये (नेटेड आफ) गये कमीशन की गणना निम्न अनुसार थी—

### तालिका 6.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए जी आर विविरणों में उल्लिखित प्रीपेड राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)				कमीशन की राशि
	ए एल	ए सी एल	डी डब्ल्यू एल	कुल	
2010-11	1,827.62	290.76	1,836.12	3,954.50	231.34
2011-12	2,080.16	239.68	2,034.04	4,353.87	254.70
2012-13	2,457.52	246.55	2,202.63	4,906.71	287.04
2013-14	2,952.23	291.29	2,651.18	5,894.70	344.84
2014-15	3,690.22	207.62	3,168.19	7,066.02	413.36
<b>कुल</b>	<b>13,007.75</b>	<b>1,275.90</b>	<b>11,892.15</b>	<b>26,175.80</b>	<b>1,531.28</b>

वितरकों/फ्रेन्चाइजी/विक्रेताओं को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन विपणन व्यय की प्रकृति का था तथा राजस्व से इस प्रकार के व्ययों का घटाना (सेट आफ) लाइसेंस शर्तों के विरुद्ध था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि यद्यपि प्रीपेड वाउचर्स अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) दर्शाते हैं तथापि पार्टियों के मध्य अनुबंध के अनुसार विक्रेताओं को यह वाउचर्स कम मूल्य पर बेचे जाते हैं। यह तर्क दिया गया है कि प्री-पेड वाउचर्स की बिक्री एक प्रिंसीपल टू प्रिंसीपल लेन-देन है। बिक्री लेन-देन, मूल्य की वसूली के साथ पूर्ण था और उसी क्षण से कार्ड का स्वामित्व, उनकी अभिरक्षा साथ ही साथ सभी प्रकार के नुकसान, बर्बादी आदि से उत्पन्न खतरे वितरक के पास चले जाते हैं, इस बात के बिना भी कि वितरक कार्ड को खुदरा अथवा अन्तिम उपभोक्ता को कब बेचते हैं। यह कहा गया था वितरक को इस बिक्री मूल्य पर बिल किये जाते हैं तथा राजस्व बिना घटाये (नेटिंग आफ) लाभ-हानि खाते में दर्ज किया गया था क्योंकि कीमत पर कोई भी छूट नहीं दी गयी थी। यह भी कहा गया कि लेखांकन बिक्री मूल्य पर किया गया क्योंकि सम्बन्ध प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल पर था तथा स्थान से स्थान पर परिवर्तित था, इसलिए वितरक अनुबन्ध में इस प्रकार का प्रतिशत नहीं था।

आगे यह भी कहा गया कि टी डी सैट ने अपने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में निर्धारित किया कि “सकल राजस्व” की परिभाषा लाइसेंस धारक को सेवा के लिए एक थोक मूल्य जो कि इसके एम आर पी से निम्नतर है, नियत करने हेतु बाधक नहीं माना जा सकता। कसौटी यह है कि वास्तविक लेन देन कैसे हुआ। यदि बिक्री एवं बीजांकन एम आर पी पर था तथा कोई छूट अलग से दी गई थी तब धारा 19.1 के अनुसार ऐसी छूट घटाने (नेटिंग आफ) योग्य नहीं थी चाहे लाभ हानि लेखा में दर्ज राजस्व छूट को निबल (नेटिंग आफ) करने के उपरान्त ही था। दूसरी तरफ, यदि बिक्री बताये/सम्मत मूल्य पर थी, सम्मत मूल्य पर बीजांकित थी तथा तदनुसार लाभ एवं हानि लेखा में राजस्व के तहत बिना

किसी छूट को निवल किये हुए (नेटिंग आफ) दर्ज थी, तब वास्तविक बिक्री मूल्य राजस्व होगा तथा एम आर पी एवं इसके बिक्री मूल्य के मध्य अंतर “सकल राजस्व” में नहीं जोड़ा जा सकता है।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आग्रिकार एयरसेल कम्पनियों ने ही सेवायें प्रदान कीं और यदि उन्होंने सीधे ग्राहकों को रिचार्ज वाउचर/ई-रिचार्ज/कार्ड की बिक्री की होती तो राजस्व दी गयी सेवा के पूरे मूल्य के साथ लेखांकित किया जाता और बिक्री व्यय खर्च के रूप में दर्ज होते। उसी समानता से, वितरकों को दिया गया छूट/कमीशन विपणन व्यय प्रकृति का होगा और इस प्रकार राजस्व से घटाया नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा का मत है कि यह लेन-देन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि अंततः अभिदाता को सेवा प्रदान करने का दायित्व लाइसेंसी कम्पनियों का रहता है न कि वितरकों का। टी डी सैट के अप्रैल 2015 के निर्णय को डी ओ टी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

जबकि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यालाय में न्यायाधीन है लेखापरीक्षा का मत है कि वितरकों/फ्रेन्चाइजी/डीलरों को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन विपणन व्ययों की प्रकृति का है अतः इन खर्चों का राजस्व से समायोजन लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध था।

इस प्रकार, वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि में वितरकों/फ्रेन्चाइजियों/विक्रेताओं को दिये गये कमीशन के निवलीकरण के कारण एयरसेल कम्पनीज (ए एल, ए सी एल, डी डब्ल्यू एल) का जी आर/ए जी आर ₹ 1531.28 करोड़ से कम बताया गया तथा एल एफ और एस यू सी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 125.31 करोड़ और ₹ 59.02 करोड़ में परिणित हुआ (अनुलग्नक-6.01)।

## 6.2.2 ग्राहकों को दिये गये ऑफर/छूट/रिबेट के कारण प्रीपेड राजस्व को कम बताना

### अ. प्रीपेड सेवा:

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि हेतु प्रस्तुत प्रीपेड सेवाओं के डाटा/अभिलेखों की जांच से यह पाया गया कि कम्पनी ने ग्राहकों को विभिन्न योजनाएं/छूटें जैसे माफी, छूट, प्रोमोटाक टाईम, फ्री एयर टाइम (एफ ए टी), प्रोत्साहन पूरक प्रस्ताव, फुल टॉक टाईम आदि प्रदान की थी। यह देखा गया कि ऐसे प्रस्तावों को समायोजित करने के लिये, उनका मूल्य सेवा राजस्व शीर्षों से घटा दिया गया था। जैसे और जब कभी भी ग्राहक द्वारा उसका उपयोग किया जाता था, राजस्व कथित राशि से क्रेडिट किया जाता था। परिणामस्वरूप, ग्राहकों को इन प्रस्तावों के कारण राजस्व को जी आर/ए जी आर में नहीं लिया गया था। चूंकि ग्राहकों को दिये गये प्रस्ताव व्यवसाय में वृद्धि हेतु समग्र व्यवसायिक रणनीति के भाग थे अतः ऐसे प्रस्तावों/छूटें व्ययों के बराबर हैं। लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, सेवा राजस्व खर्च की संबंधित मद को बिना घटाये (सैट आफ), दिखाया जायेगा, इसलिये इन्हें जी आर में से निकालने की अनुमति नहीं है। यह लाइसेंस अनुबंध के उल्लंघन में भी था जो स्पष्टतया बताता है कि सेवा राजस्व (बिल करने की योग्य राशि) सकल दिखाया जायेगा तथा छूट/रिबेट के विवरण अलग से दिखाये जायेंगे। मदवार विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

- ग्राहकों को माफी, छूट तथा प्रोमो टाक टाईम

लेखापरीक्षा द्वारा 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि के लिये सैप पद्धति से प्राप्त किये गये डाटा की समीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित मदें प्रीपेड राजस्व लेखा कोड से डेबिट की गई थी।

- i) प्रोसेसिंग फीस (पी एफ) माफी/ग्राहक माफी (₹ 146.82 करोड़)
- ii) छूट (₹ 0.08 करोड़)
- iii) प्रोमो टॉक टाईम (₹ 0.15 करोड़)

प्रीपेड उपभोक्ताओं को प्रदान किये गये उपरोक्त माफी/छूट/प्रोमो टॉक टाईम, प्रीपेड उपभोक्ताओं को दिये गये आफर थे और इसलिये ये व्यय की प्रकृति के थे। ऐसे व्ययों का राजस्व से निवलीकरण, एयर सेल कम्पनी द्वारा जी आर/ए जी आर को ₹ 147.05 करोड़ से कम दर्शाये जाने में परिणित हुआ।

- **ग्राहकों को प्रदान किया गया फ्री एयर टाईम**

प्रीपेड सेवा लेखा कोड से राजस्व को निम्नलिखित मदों द्वारा डेबिट किया गया था।

- i. अतिरिक्त टॉक टाईम; आदि
- ii. एफ ए टी- बोनस/फ्री टाक वेल्यू ;
- iii. एस आर सी ग्राहकों को दिया गया एफ टी टी;
- iv. अतिरिक्त टॉक टाईम;

प्रीपेड ग्राहकों को दिये गये अधिक/फ्री/अतिरिक्त टॉक टाईम को समायोजित करने के लिये राजस्व शीर्षों को डेबिट कर, जी आर/ए जी आर को ₹ 44.46 करोड़ से कम दिखाया गया था।

- **डी डब्ल्यू एल द्वारा ग्राहकों को आफर की गई फुल टॉक टाईम योजना**

लेखापरीक्षा द्वारा 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि के लिये सैप पद्धति से प्राप्त डाटा की समीक्षा में पाया गया कि डिशनेट वायरलेस लिमिटेड के लेखाओं प्रीपेड राजस्व (प्रोसेसिंग चार्जेस/एकटीवेशन आदि) को फुल टॉक टाईम ट्रान्सफर प्रोसेसिंग चार्जेज/एकटीवेशन इत्यादि वर्णन के शीर्ष को डेबिट के द्वारा ₹ 45.18 करोड़ से कम कर दिया गया था।

प्रीपेड उपभोक्ताओं को दिये गये फुल टॉक टाईम को समायोजित करने के लिये राजस्व शीर्षों को डेबिट करना लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं था। यह ₹ 45.18 करोड़ से जी आर/ए जी आर को कम दर्शाने में परिणित हुआ।

- **“प्री इन रिचार्ज पर टॉक टाईम” शीर्षक के अन्तर्गत राजस्व शीर्षों में डेबिट**

लेखापरीक्षा द्वारा 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि के लिये सैप पद्धति से प्राप्त डाटा की समीक्षा में यह पाया गया कि “टॉक टाईम आन प्री इन रिचार्ज” शीर्षक के अन्तर्गत की एक मद से राजस्व डेबिट किया गया था। इस लेखे में राजस्व में डेबिट (कम की गयी) की गयी कुल राशि की गणना ₹ 74.00 करोड़ थी और जी आर/ए जी आर इतनी ही राशि से कम करके दिखाया गया।

- **खर्च के रूप दर्ज प्रोमो टी टी/यूसेज को राजस्व से निवलीकरण**

लेखापरीक्षा द्वारा 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए सैप पद्धति से प्राप्त डाटा की समीक्षा में यह पाया गया कि ट्रायल वैलेंस में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज की गयी प्रोमो टॉक टाईम/यूसेज की कुछ राशि को ए जी आर विवरणों में सेवा राजस्व से निवल किया गया था।

इस लेखे में निवलीकृत की गयी कुल राजस्व की राशि ₹ 3.89 करोड़ थी।

राजस्व से व्ययों के रूप में दर्ज प्रोमो टॉक टाइम/यूसेज का निवलीकरण ₹ 3.89 करोड़ से जी आर/ए जी आर को कम दिखाने में परिणित हुआ। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि असम और पूर्वोत्तर एल एस ए के संदर्भ में वर्ष 2010-11 हेतु जी एल कोड 3330011— प्रोमो टी टी/यूसेज शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट अभिशेष राशि ₹ 73.42 लाख, ए जी आर विवरणों में राजस्व से निवलीकृत नहीं की गई थी।

#### **ब. पोस्टपेड उपभोक्ताओं को दी गई माफी और छूट से राजस्व का निवलीकरण**

लेखापरीक्षा द्वारा 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए सैप पद्धति से प्राप्त डाटा की समीक्षा में यह पाया गया कि पोस्टपेड राजस्व लेखा कोड को “माफी” और “छूट” की विभिन्न मदों से डेबिट किया गया था। राजस्व शीर्ष में डेबिट की गई “माफी” और “छूट” की कुल राशि की गणना ₹ 16.87 करोड़ है।

पोस्टपेड उपभोक्ताओं को दी गई माफी और छूट व्यय की प्रकृति के हैं। राजस्व से ऐसे व्ययों का निवलीकरण ₹ 16.87 करोड़ से जी आर/ए जी आर को कम दिखाने में परिणित हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा किये गये उक्त प्रेक्षणों पर प्रबंधन ने कहा कि—

- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया द्वारा जारी लेखा मानक (ए एस) 9 के अनुपालन में कम्पनी राजस्व का लेखांकन करती है। राजस्व पहचान से सम्बन्धित ए एस-9 का क्लाज 4.1 प्रावधानित करता है कि ‘राजस्व, नकदी का सकल अन्तर प्रवाह, प्राप्य योग्य राशियां, अथवा अन्य प्रतिफल जो व्यापार की सामान्य गतिविधियों के दौरान सामान की बिक्री से उत्पन्न, सेवायें देने, तथा उद्यमी संसाधनों के अन्य द्वारा उपयोग जो कि ब्याज, रॉयल्टी एवं लाभांश उत्पन्न कर रहे हैं, के रूप में होगा। राजस्व ग्राहक या उपभोक्ता के लिये माल की आपूर्ति और उनको दी गई सेवाओं के लिए दिये गये प्रभार तथा उनके द्वारा प्रयोग किये गये संशाधनों से उत्पन्न प्रभार एवं पुरस्कार से मापा जाता है।’
- टी डी सैट ने भी उपरोक्त परिभाषा को अनुमोदित किया तथा 23 अप्रैल 2015 को इस विषयक आदेश पारित करते हुए कहा कि “सकल राजस्व एवं समायोजित सकल राजस्व को परिभाषित करने वाली “राजस्व” की परिभाषा ए एस-9 में तथा लाइसेंस अनुबंध की धारा 19.1 एवं 19.2 में प्रावधानित की गई परिभाषा के मध्य कोई विरोध नहीं है। जैसा कि खण्ड 211 (3ए), (3बी) एवं (3सी) से सुस्पष्ट है कि एक लाइसेंसधारी दूरसंचार कम्पनी, विधिवत अपने लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन पत्र लेखा मानकों के अनुपालन में बनाने के लिए अधिदेशाधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लेखा मानकों को पर्याप्त महत्व दिया गया है क्योंकि वे इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया, जो कि विशेषज्ञता क्षेत्र में एक निपुण संस्था है, द्वारा संहिता बद्ध की गई संस्तुतियां हैं।’
- ए एस 9 में राजस्व की परिभाषा से स्पष्ट है कि राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल की सीमा तक माना जाना है। चूंकि छूट, माफी, फ्री टॉक टाइम, अतिरिक्त टॉक टाइम, फुल टॉक टाइम, प्रोमो टॉक टाइम से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यह लाइसेंस फीस का विषय नहीं होना चाहिये।

- उपरोक्त के आलोक में, ए जी आर की गणना में छूट एवं माफी के काल्पनिक राजस्व को शामिल न करने में कम्पनी न्याय संगत है क्योंकि ए जी आर की गणना में उसका मूल्य वापस जोड़ने से काल्पनिक राजस्व पर एल एफ का भुगतान हो जायेगा जो कि न तो प्राप्त किया गया था और न ही प्राप्त करने योग्य है। पुनः क्योंकि माफी में, ट्राई के दिनांक 10 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार ग्राहकों को प्रदान की गयी वापसी (रिफन्ड) के कारण माफी शामिल है जो लाइसेंस फीस का विषय नहीं हो सकता है। टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में भी इस पर पुनः जोर दिया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि “सकल राजस्व” में शामिल करने के लिए अन्तः प्रवाह की मद काल्पनिक न होकर वास्तविक होनी चाहिए”।
- कम्पनी द्वारा दी गई ₹ 17.02 करोड़ राशि की छूट/माफी (पोस्टपेड/प्रीपेड), ट्राई को दाखिल की गयी टैरिफ प्लान के एक भाग के रूप दी गयी छूट की प्रकृति की थी, इसलिए लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए विचारित राजस्व से इसे अधिकारितः समायोजित किया गया है। यह भी कि ग्राहकों को प्रदान की गयी ₹ 146.82 करोड़ (प्रीपेड) की राशि की माफी अन्य मदों के साथ व्यापार के सामान्य प्रक्रिया में गलत प्रभार/गलत बिलिंग के कारण थी तथा ए एस 9 के अनुसार ऐसी माफी/डिस्काउंट के समायोजन के बाद शुद्ध प्राप्त राजस्व को मान्यता दी जाती है।
- ग्राहकों को दिये गये क्रेडिट विवरणों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि क्रेडिट मुख्य रूप से नीचे दिये गये कारणों से है:
  - (i) ग्राहकों के बीच अभिशेष स्थानांतरण: यह ग्राहकों को प्रदान की गयी सेवा है जिसके द्वारा ग्राहक अपना बैलेंस दूसरे ग्राहक को स्थानान्तरित कर सकता है। यह एक ग्राहक को क्रेडिट तथा दूसरे ग्राहक को डेबिट के रूप में प्रदर्शित होता है। अतः राजस्व पर शुद्ध डेबिट प्रभाव कुछ नहीं है।
  - (ii) कर्मचारी माफी (पोस्टपेड): कर्मचारियों के संयोजन का औसत प्रयोग लगभग ₹ 2.5 करोड़ वार्षिक है। उक्त अवधि के लिये यह ₹ 7.5 करोड़ निकलता है। कर्मचारी द्वारा प्रयोग, उसके कार्यालय के कर्तव्यों की सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत है, और इसलिये उसे सकल राजस्व/ए जी आर में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है और लाइसेंस फीस का विषय नहीं है।
  - (iii) ट्राई के निर्देशानुसार ग्राहकों को दी गयी माफी: ग्राहकों को दी गयी माफी मुख्य रूप से गलत बिलिंग/गलत प्रभारों (अर्थात् पहले ग्राहक को डेबिट किया गया तथा उस प्रभार की वापसी) जिसके लिए ग्राहकों को कभी भी सेवा प्रदान नहीं की गयी, यह उपरोक्त अवधि के लिए कुल दी गयी माफी का 88 प्रतिशत ₹ 94 करोड़ बनता है। लगभग ₹ 22 करोड़ (पोस्टपेड+प्रीपेड) के अभिशेष को सद्भावना की प्रकृति की माफी कहा जा सकता है।
- यह भी संज्ञान में लिये जाने योग्य है कि, वित्त अधिनियम (सेवा कर) के सेक्षण 67 के प्रावधानों के अनुसार, जहां कोई सेवा धन के प्रतिफल के बिना दी जाती है, ऐसी सेवाओं पर सेवाकर देय नहीं है। इसी प्रकार, सेवायें जो किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं की गयी हैं

परन्तु स्वयं के लिए प्रयोग की गयीं वह भी सेवाकर के उदग्रहण किये जाने के अधीन नहीं है, क्योंकि कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त किया गया/प्राप्त करने योग्य है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- लेखापरीक्षा ने सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रश्नावलियों के साथ प्रबंधन को जी एल डम्प का विवरण सत्यापन के लिए दिया था परन्तु प्रबंधन ने अपने मत के समर्थन में जी एल प्रविष्टि के मदवार विवरण के साथ प्रति उत्तर नहीं दिया। आगे “इन्टर सबस्क्राइबर बैलेन्स ट्रान्सफर” के मद में राजस्व में डेबिट की राशि वर्तमान अवधि के डाटा को विचार में रखते हुए लगभग अनुमान पर आधारित है। इसी प्रकार, कर्मचारियों द्वारा प्रयोग (पोस्टपेड) के मद में जो कथित माफी दी गयी है वह भी लगभग सही अनुमान तथा बिना किसी समुचित विवरण पर आधारित है। पोस्टपेड के मामले में, जनरल लेजर में प्रकट हो रहे “एडस्टमेंट” के मद में पोस्टपेड राजस्व को किये गये डेबिट पर लेखापरीक्षा ने विरोध नहीं किया था।
- टैरिफ के अनुसार ग्राहकों/ऐजेन्टों को दी गई छूट या एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो आदि के विवरण का उल्लेख नहीं है।
- प्रणाली में कोई ऐसा उल्लेख नहीं था जो कि यह संकेत देता कि “जी एल कोड प्रीपेड—आर सी प्रोसेसिंग इनकम” को किया गया डेबिट, वी ए एस, टॉक टाईम, किराया इत्यादि के मद में गलत प्रभारित (ग्राहक खातों से गलत कमी) करने के कारण था। लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III के अन्तर्गत आवश्यक अलग—अलग विवरण के अभाव में “पी एफ माफी” के अन्तर्गत पूरे डेबिट को गलत प्रभारित डेबिट नहीं माना जा सकता है।
- इन माफी से सम्बन्धित जनरल लेजर से निकाले गये डाटा के विश्लेषण ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि यह प्रीपेड प्रोसेसिंग आय, वी ए एस, टॉक टाईम, किराया इत्यादि के मद में थी न कि वी ए एस की मद को गलत प्रभारित करने के कारण।
- प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि फ्री एयर टाइम (एफ ए टी)/गुडविल वेवर्स को राजस्व में डेबिट किया।
- ग्राहकों को प्रदान की गयी डिस्काउंट/माफी/आफर्स/एफ ए टी व्यापार को बढ़ाने में किये गये खर्च की प्रकृति की थी।

इस प्रकार से प्रीपेड ग्राहकों को प्रदान की गयी डिस्काउंट/माफी/आफर्स/एफ ए टी के मूल्य को पहचाने न जाने तथा पोस्टपेड ग्राहकों को प्रदान की गयी माफी/डिस्काउंट के समायोजन से एयरसेल कम्पनियों के जी आर/ए जी आर को ₹ 331.45 करोड़ से कम आंका गया। परिणामस्वरूप, एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 29.99 करोड़ एवं ₹ 14.94 करोड़ कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक—6.02)।

### 6.2.3 अन्य दूरसंचार आपरेटरों से इन्फास्ट्रक्चर साझेदारी से प्राप्त राजस्व को जी आर/ए जी आर के लिए विचार न करना

सी एम टी एस/यू ए एस लाइसेंस अनुबंध की धारा 19.1 के अनुसार, सकल राजस्व में अनुज्ञेय इन्फास्ट्रक्चर हिस्सेदारी से राजस्व तथा कोई अन्य विविध राजस्व संबंधित व्यय इत्यादि मद का कोई समायोजन (सेट आफ) किये बिना सम्मिलित होंगे।

एयरसेल ग्रुप के स्वामित्व वाले दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर (टावर्स नेटवर्क उपकरण आदि) अन्य दूरसंचार कम्पनियों से साझा किये गये थे। उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर (साइट) साझेदारी के लिए अन्य दूरसंचार कम्पनियों से अनुबंध किये हैं। अन्य ऑपरेटरों से किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार सैल साइट हेतु साझेदारी के लिए अन्य आपरेटरों से शुल्क वसूला गया था जो कि साइटों की केपेक्स (पूँजीगत) लागत के निश्चित प्रतिशत तथा एयरसेल ग्रुप द्वारा खर्च किये गये ओपेक्स लागत पर आधारित था।

लेखापरीक्षा द्वारा 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए सैप पद्धति से लिये गये डाटा की समीक्षा में यह पाया गया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर/साइट साझेदारी प्रभार, जो कि अन्य आपरेटरों से वसूली योग्य/वसूल किया गया था, इन्फ्रास्ट्रक्चर/साइट साझेदारी राजस्व में पूरा नहीं लिया गया बल्कि, इसके कुछ भाग को किराया, ईंधन (डीजल), विद्युत, नेटवर्क खर्च मरम्मत और रखरखाव व सुरक्षा के व्यय मद में क्रेडिट कर दिया गया।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि में अन्य टेलीकाम आपरेटरों से प्राप्त/प्राप्ति योग्य साइट साझेदारी राजस्व के कारण व्यय शीर्ष (लागत से घटायी गयी) में क्रेडिट कुल राशि ₹ 58.58 करोड़ थी।

चूंकि लाइसेंस अनुबंध में राजस्व के विरुद्ध इससे सम्बन्धित व्यय का समायोजन करना अनुमत्य नहीं है, अन्य दूरसंचार आपरेटरों से प्राप्त/प्राप्ति योग्य साइट साझेदारी राजस्व को लागत से समायोजित करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर उतना कम दिखाया गया।

कम्पनी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि—

- इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदारी के लिए दो प्रकार के भुगतान प्राप्त किये जाते हैं यथा, सुविधा के उपयोग के लिए आरोपित शुल्क तथा मरम्मत एवं रखरखाव, विद्युत, डीजल आदि पर किये गये व्यय इत्यादि की प्रतिपूर्ति। सुविधा के उपयोग के लिए शुल्कों को राजस्व के रूप दर्ज किया गया था जबकि लागतों की प्रतिपूर्ति को संबंधित खर्च में कमी के रूप में दर्ज किया गया था। पुनः, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए दोनों घटक यानि सुविधा के उपयोग के लिए शुल्क और इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदारी अनुबंध के शर्त के अनुसार बिल की गयी/दिखायी गयी व्यय की प्रतिपूर्ति अलग—अलग थी और अलग से लेखा में भी दर्ज की गयी थी।
- खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु कम्पनी के लेखे ए एस 29 के अनुपालन में है।
- टी डी सैट ने अपने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में भी कहा है कि “जबकि सुविधा के उपयोग के लिये किया गया कोई भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व के रूप में लिया जाना है, एक व्यय के प्रतिपूर्ति की प्रकृति का भुगतान तथा जो बीजक में अलग से स्पष्टतया ऐसा दिखाया गया है, को राजस्व के रूप में नहीं लिया जाये बर्ताते यह लाभ एवं हानि खाते में राजस्व के रूप में दर्ज नहीं किया है।”

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व बिना किसी व्यय की सम्बंधित मद का समायोजन किये अवसंरचना की अनुमत्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व को विशिष्टतया समिलित करता है तथा लाइसेंस अनुबंध अवसंरचना की हिस्सेदारी से हुई केपेक्स एवं ओपेक्स आय के मध्य कोई भेद नहीं करता। इसलिये अवसंरचना हिस्सेदारी से आय का व्यय के विरुद्ध समायोजन अनुमत्य नहीं है। इसके अतिरिक्त डीजल व्यय, सुरक्षा व्यय, रख—रखाव व्यय

और विद्युत शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ/प्राप्ति योग्य राजस्व प्रतिपूर्ति के रूप में नहीं है क्योंकि ये व्यय तब भी करने पड़ते चाहे टावर शेयर किया गया हो या नहीं। वास्तव में, व्यय की साझेदारी से कम्पनी अतिरिक्त आय से लाभांशित हुई।

इस प्रकार, अन्य दूरसंचार आपरेटर से प्राप्त/प्राप्ति योग्य इन्फास्ट्रक्चर साझेदारी राजस्व को समायोजित करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 58.58 करोड़ से कम दिखाया गया और एल एफ तथा एस यू सी का क्रमशः ₹ 4.75 करोड़ और ₹ 1.87 करोड़ कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 6.03)।

#### 6.2.4 जी आर/ए जी आर में फोरेक्स लाभ को विचारित न करना

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार जी आर अन्य किसी भी प्रकार के विविध राजस्व को शामिल करता है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई वर्ष 2010-11 से 2014-15 में ₹ 471.37 करोड़ के फोरेक्स लाभ प्राप्त हुआ है। हालांकि राजस्व साझेदारी की गणना के लिये जी आर/ए जी आर में फोरेक्स लाभ को शामिल नहीं किया गया।

जैसा कि रिपोर्ट के पैरा 2.2.5 में उल्लेखित है, प्रत्येक मद के मूल मूल्य के अभाव में लेखापरीक्षा प्रत्येक लाभ के अन्तर्गत लेखाबद्ध किये गये मदों के वास्तविक मूल्य को ज्ञात नहीं कर सकी। ऑपरेटर को लेखे के प्राथमिक मूल्य के संदर्भ में प्रत्येक मद पर लाभ की गणना करनी चाहिये एवं जी आर/ए जी आर में कुल फोरेक्स लाभ को शामिल करना चाहिये।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि—

- ए एस—9 के अनुसार “राजस्व की परिभाषा” स्पष्ट कहती है कि राजस्व, नकदी प्राप्तियों का सकल अन्तःप्रवाह है, जो व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों के दौरान सामान की बिक्री से उत्पन्न, सेवाओं के प्रदान करने से, उद्यमी के स्त्रोतों का अन्य के द्वारा प्रयोग करने से प्राप्त ब्याज, रॉयल्टी और लाभांश से, प्राप्ति योग्य या अन्य प्रतिफल है। विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ, राजस्व की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिये यह ए जी आर के गणना के समय शामिल नहीं करना चाहिए।
- टी डी सैट द्वारा 23 अप्रैल 2015 को दिये गये निर्णय के अनुसार “.....  
विदेशी मुद्रा विनिमय के उत्तर-चढ़ाव के कारण किसी लाभ और हानि का लाइसेंस फीस पर कोई असर नहीं होगा।” यह भी कहा गया था कि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और इसलिए फोरेक्स लाभ को लाइसेंस शुल्क की गणना करते समय ए जी आर में पुनः वापिस नहीं जोड़ना चाहिए।
- चूंकि, लाइसेंस शुल्क, लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार तिमाही/त्रैमासिक राजस्व पर भुगतान किया गया था, फारेक्स लाभ की भी गणना प्रत्येक तिमाही के लिये अलग से करना चाहिए और इस प्रकार फारेक्स लाभ ₹ 56.10 करोड़ होना चाहिये।
- वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान एयरसेल ग्रुप को शुद्ध नकद हानि ₹ 357.85 करोड़ हुई। इसलिए जहां विदेशी विनिमय दर के अंतर के कारण लाभ होता है उस लेन-देन पर लाइसेंस शुल्क का आरोपण करना सही नहीं होगा।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- i) फोरेक्स लाभ/हानि वैयक्तिक लेन देन का परिणाम है
- ii) वैयक्तिक लेन-देन एकत्रित नहीं किया जा सकता है
- iii) पुनः फोरेक्स लाभ/हानि एक वैयक्तिक अनुबंधों की प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। इसलिए हानि को समायोजित नहीं किया जा सकता है।
- iv) टी डी सैट के 23 अप्रैल 2015 के निर्णय को डी ओ टी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।

इस प्रकार जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय के उत्तर-चढ़ाव के कारण हुए लाभ को राजस्व साझेदारी की गणना करते समय जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिए। एयरसेल कम्पनियों द्वारा इसे शामिल नहीं करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 471.37 करोड़ से कम दिखाया गया। इसके परिणामस्वरूप, एल एफ और एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 38.12 करोड़ और ₹ 9.82 करोड़ कम किया गया (अनुलग्नक-6.04)।

#### **6.2.5 कारपोरेट लेखा में लेखांकित वी ए एस/विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व को विचारित न करना**

यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार वी ए एस एवं अन्य विविध आय से प्राप्त राजस्व, राजस्व शेयर (एल एफ एवं एस यू सी) की गणना हेतु जी आर/ए जी आर का भाग होना चाहिये। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के डाटा/अभिलेखों की समीक्षा तथा जैसा सैप पद्धति से लिया गया, यह पाया गया कि मूल्य वर्द्धित सेवायें/विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व कारपोरेट लेखे में दर्ज किये गये ₹ 0.66 करोड़ को राजस्व साझेदारी की गणना के समय जी आर/ए जी आर में विचार नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि विज्ञापन राजस्व, दूरसंचार सेवायें प्रदान करने के कारण न तो उपभोक्ता से और न ही अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अर्जित होता है और इसलिए ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के आय के लिए दूरसंचार लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट आय के लिए अलग संभागीय खाता बही बनायी जाती है जिसका कि किसी भी दूरसंचार परिमंडल के लाइसेंस क्रियाकलाप से सम्बंध नहीं है। यह भी कहा गया है कि यह मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध के अनुसार किसी विविध आय जो कि दूरसंचार कम्पनी को अर्जित होती है, को राजस्व साझेदारी की गणना करते समय जी आर/ए जी आर में सम्मिलित करना चाहिए।

इस प्रकार, राजस्व साझेदारी की गणना करते समय इसे शामिल न करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 0.66 करोड़ कम बताया एवं एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 0.06 करोड़ और ₹ 0.03 करोड़ कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 6.05)।

### 6.3 राजस्व व एल एफ (ए जी आर विवरणी) विवरणियों में राजस्व कम दिखाये गये यद्यपि बहीखातों में रिपोर्ट किये गये थे

#### 6.3.1 जी आर/ए जी आर हेतु ब्याज आय का विचार नहीं किया जाना

यू ए एस एल/सी एम टी एस अनुबंध के अनुच्छेद 19.1 की शर्त के अनुसार और अन्य लाइसेंस के सम्बंध में सम्बन्धित अनुच्छेद जी आर को परिभाषित करता है कि सरकार को देय राजस्व साझेदारी की गणना करते समय ब्याज से प्राप्त आय जी आर में सम्मिलित करना चाहिए।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की समयावधि के आंकड़े/अभिलेखों जो कि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया और सैप पद्धति से ली गयी डाटा की समीक्षा में पाया कि एयरसेल कम्पनी के लेखों में दर्ज ब्याज से प्राप्त आय को पूर्ण रूप से जी आर में शामिल नहीं किया गया। कुल ब्याज आय वित्तीय विवरण के “अन्य आय” की अनुसूची में तीन शीर्षों के अन्तर्गत अर्थात्-बैंक जमा से ब्याज, अन्तर्कारपोरेट जमा से ब्याज (आई सी डी) और विलंबित राशि पर ग्राहक से प्राप्त ब्याज, दर्शाया गया था। यह पाया गया कि विलंबित राशि (विलम्ब भुगतान अधिशुल्क) पर ग्राहक से प्राप्त ब्याज जी आर/ए जी आर में शामिल किया गया था किन्तु बैंक जमा और आई सी डी से ब्याज जी आर/ए जी आर में, राजस्व साझेदारी की गणना करते समय, शामिल नहीं किया गया। ब्याज आय की राशि ₹ 987.95 करोड़ थी जिसे जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि—

- सावधि जमा के माध्यम से किसी अस्थायी अधिक्य निधि का निवेश (बैंक से उधार लेने के कारण उत्पन्न, अंशधारक के द्वारा शेयर निवेश), प्रतिभूति या म्युचुवल फण्ड के साथ कम्पनी के द्वारा दिया गया अन्तर्कारपोरेट ऋण से अर्जित ब्याज को दूरसंचार के क्रिया कलाप से आय नहीं कह सकते हैं और इसलिए लाइसेंस शुल्क की गणना करने के उद्देश्य हेतु ए जी आर में शामिल नहीं किया गया। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि इकाई, सेवा क्षेत्र में अपने लाइसेंसी की क्षमता से स्वतंत्र अलग रूप से कार्य करती है जब एक ग्रुप कम्पनी को अन्तर्कारपोरेट ऋण दिया जाता है जो बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज के समान है (कोष कार्यकलाप)। इस प्रकार, उससे कोई ब्याज, ब्याज की परिभाषा या लाइसेंस के अन्तर्गत निवेश पर ब्याज के अन्तर्गत नहीं आता है।
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जून 2012 के एक आदेश से निम्नानुसार आदेशित किया है कि “अग्रिम आदेशों तक याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के सम्बन्ध में, याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस फीस की वसूली हेतु प्रतिवादियों (डी ओ टी) द्वारा कोई उत्पीड़क कदम नहीं उठाये जायेंगे।

लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबन्ध में जी आर की परिभाषा में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ब्याज से प्राप्त आय को, राजस्व साझेदारी की गणना करने के समय जी आर/ए जी आर में शामिल करना है।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ब्याज से प्राप्त आय को शामिल नहीं करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर को ₹ 987.95 करोड़ से कम दिखाया गया और एल एफ और

एस यू सी का क्रमशः ₹ 91.03 करोड़ तथा ₹ 40.37 करोड़ कम भुगतान किया गया (अनुलग्नक-6.06)।

### 6.3.2 निवेश से आय को जी आर/ए जी आर के लिए विचार न करना

राजस्व और एल एफ के विवरण के प्रपत्र (ए जी आर विवरण) जैसा कि परिशिष्ट II से अनुलग्नक-II में विहित है और जो यू ए एस एल/सी एम टी एस अनुबंध के अनुच्छेद 20.4 में संदर्भित है, लाइसेंस अनुबंध का एक अनिवार्य भाग है। विवरण में, मद संख्या-4 “निवेश से आय” दर्शाने के लिए विहित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के अनुच्छेद 19.1 की शर्तों के अनुसार लाभांश आय, भारत सरकार को देय राजस्व साझेदारी की गणना करते समय, जी आर में शामिल करना चाहिए।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की समयावधि के आंकड़े/अभिलेखों जैसा कि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया और सैप पद्धति से ली गयी आंकड़ों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि म्युचुवल फण्ड में निवेश के विमोचन से प्राप्त पूंजीगत आय और म्युचुवल फण्ड निवेश से प्राप्त लाभांश राशि ₹ 52.60 करोड़ तथा ₹ 21.32 करोड़ क्रमशः जो ए एल और ए सी एल के कारपोरेट लेखे में दर्ज किया गया, को राजस्व साझेदारी की गणना करते समय जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2016) कि—

- आय की प्रकृति, लाभांश होने के कारण, लाइसेंस गतिविधि से सम्बन्धित नहीं था। इसलिए, कोई भी लाभांश, जिस किसी भी प्रकृति के निवेश से अर्जित हुआ हो लाइसेंस क्रियाकलाप से उपार्जित आय का भाग नहीं है।
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जून 2012 के आदेश से निम्नानुसार आदेशित किया है:—

“अग्रिम आदेशों तक, याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस शुल्क की वसूली हेतु, प्रतिवादियों द्वारा कोई उत्पीड़क कदम नहीं उठाये जायेंगे।”

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध में जी आर की परिभाषा में निवेश/लाभांश से प्राप्त आय को राजस्व साझेदारी की गणना हेतु जी आर/ए जी आर में सम्मिलित करना स्पष्टतया प्रावधानित करता है।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान निवेश से प्राप्त आय को शामिल नहीं करने के कारण जी आर/ए जी आर को ₹ 73.92 करोड़ (₹ 52.60 करोड़ और ₹ 21.32 करोड़) से कम दिखाया गया तथा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 7.30 करोड़ और ₹ 3.25 करोड़ कम भुगतान किया गया (अनुलग्नक 6.07)।

### 6.3.3 जी आर/ए जी आर हेतु अन्य विविध आय का विचार न किया जाना

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि का लेखा परीक्षा को प्रस्तुत आंकड़ों/अभिलेखों और सैप पद्धति में ली गयी डाटा की समीक्षा में पाया गया कि अन्य विविध आय को जी एल शीर्ष 4900013 में दर्ज किया गया तथा लाभ हानि खाते के अनुसूची “अन्य आय” के अन्तर्गत “विविध आय” में वर्गीकृत किया है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि इस विविध आय का कुछ भाग, विभिन्न एल एस ए/लाइसेंसी द्वारा राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल किया

गया है और कुछ भाग शामिल नहीं किया गया। लेखों के अनुसार विविध आय और राशि जो जी आर/ए जी आर में शामिल किया गया है उसका विवरण निम्नवत है—

#### तालिका 6.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए एल			ए सी एल			टी डब्ल्यू एल		
	लेखे में दर्ज राशि	जी आर/ए जी आर में शामिल राशि	जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं की गई राशि	लेखे में दर्ज राशि	जी आर/ए जी आर में शामिल राशि	जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं की गई राशि	लेखे में दर्ज राशि	जी आर/ए जी आर में शामिल राशि	जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं की गई राशि
2010-11	2.57	0.36	2.21	0.76	0	0.76	6.59	4.55	2.04
2011-12	0.83	0.34	0.49	0.36	0.36	0	9.60	9.59	0.01
2012-13	3.24	0.08	3.16	0.40	0.40	0	8.34	3.21	5.40*
2013-14	1.05	0	1.05	0.54	0	0.54	1.55	0.20	1.39*
2014-15	0.57	0	0.57	0.25	0	0.25	0.24	0	0.25
<b>योग</b>	<b>8.26</b>	<b>0.78</b>	<b>7.48</b>	<b>2.31</b>	<b>0.76</b>	<b>1.55</b>	<b>26.32</b>	<b>17.55</b>	<b>9.09</b>

टिप्पणी— \*विविध आय की कुल राशि की गणना के लिये कुछ एल एस ए के विविध आय शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट शेष छोड़ दिया गया है तथा उन्हें जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया।

यू ए एस एल/सी एस एम टी एस अनुबन्ध के अनुच्छेद 19.1 की शर्तों और अन्य अनुबंधों में सम्बन्धित शर्तों के अनुसार विविध आय को जी आर/ए जी आर में विचार किया जाना चाहिए और एयरसेल कम्पनी ने कुछ मामलों में ऐसा किया भी था। किन्तु विविध आय की ₹ 18.12 करोड़ की राशि को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि “विविध आय/अन्य आय” कबाड़/रददी की बिक्री, बीमा दावा, लागत की प्रतिपूर्ति आदि से आय को सम्मिलित करती है जो न तो ग्राहकों से और न ही अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार सेवायें प्रदान करने के कारण उपार्जित होता है और इसलिए, इसे ए जी आर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसी आय के लिए दूरसंचार लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा गया कि यह मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध स्पष्ट रूप से बताता है कि विविध राजस्व/आय को जी आर/ए जी आर में राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु शामिल करना चाहिए।

इस प्रकार सम्पूर्ण विविध आय को जी आर/ए जी आर में शामिल न करने के फलस्वरूप जी आर/ए जी आर को ₹ 18.12 करोड़ से कम बताया गया है और एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 1.46 करोड़ और 0.60 करोड़ से भुगतान कम किया गया (अनुलग्नक 6.08)।

#### 6.3.4 राजस्व साझेदारी की गणना हेतु सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया जाना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व में सम्बंधित मद हेतु किसी प्रकार के खर्चे इत्यादि से समायोजन के बिना व्याज लाभांश व अन्य विविध राजस्व शामिल होगा। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये आंकड़ों/अभिलेखों और सैप पद्धति से ली गयी आंकड़ों की समीक्षा से पता चला कि प्रबंधन द्वारा सत्यापित ₹ 37.65 करोड़ की सम्पत्ति/स्क्रैप की बिक्री पर लाभ को जी आर/ए जी आर की गणना के लिये विचार में नहीं लिया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि—

- “स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री से उत्पन्न राजस्व पूँजीगत प्रकृति के हैं जो कि लाइसेंस गतिविधियों से उत्पन्न नहीं हआ है, इसलिए इसे ए जी आर में शामिल नहीं करना चाहिए।”
- टी डी सेट ने अपने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में भी कहा कि स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ, राजस्व प्राप्ति से अलग है और जी आर का भाग/अंश नहीं होना चाहिए। यह भी कि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए उपरोक्त लाभ लाइसेंस शुल्क की गणना हेतु ए जी आर में वापिस नहीं जुड़ना चाहिए।

लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंधों में यह स्पष्ट था कि राजस्व साझेदारी की गणना हेतु विविध आय को जी आर/ए जी आर में सम्मिलित करना चाहिये और सम्पत्तियों/स्क्रैप की बिक्री से लाभ विविध आय की प्रकृति के अन्तर्गत आता है और इसको भी लाइसेंस अनुबंध के अनुसार शामिल किया जाना चाहिये।

सम्पत्तियों/स्क्रैप की बिक्री से लाभ को सम्मिलित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 37.65 करोड़ से जी आर/ए जी आर कम दिखाया गया तथा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 3.04 करोड़ तथा ₹ 1.22 करोड़ कम भुगतान किया गया (अनुलग्नक-6.09)।

#### 6.4 अन्य मामले

##### 6.4.1 “बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों” की राशि से जी आर/ए जी आर को कम बताना

यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 19.2 के शर्तों के अनुसार “बट्टे खाते में डाली गयी अशोध्य ऋण” सकल राजस्व (जी आर) से घटाने योग्य नहीं है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिये सैप पद्धति से एक्सेस की गयी आंकड़ों और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये आंकड़ों/अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में एयरसेल कम्पनियों द्वारा लाइसेंस शुल्क (एल एफ) और स्पेक्ट्रम युजेज प्रभार (एस यू सी) की गणना करते समय, “बट्टे खाते में डाली गयी अशोध्य ऋणों” की राशि ₹ 50.34 करोड़ को सकल राजस्व (जी आर) से घटा दिया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि वर्ष 2014-15 में बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण को टी डी सेट के निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2007 के पालन में ए जी आर से घटाये गये थे जिसमें कहा गया था कि “अशोध्य ऋण सेवा प्रदाता द्वारा वास्तव में खोया पैसा है। इसलिए ऐसी हानियां ए जी आर से हटाई जानी चाहिए। ऐसी हानियों की राशियों को ए जी आर में सम्मिलित करने की अनुमति देने का

अर्थ होगा कि जब पार्टी हानि उठाती है तब भी इसे हानि पर भी लाइसेंस फीस का भुगतान करना है।” उपरोक्त निर्णय अभी भी लागू हैं क्योंकि दिनांक 23 अप्रैल 2015 के टी डी सेट के नये निर्णय ने अभी तक अंतिम रूप प्राप्त नहीं किया है क्योंकि उसे डी ओ टी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समुख चुनौती दी गयी है। यह भी कहा गया कि यदि अशोध्य ऋण को ए जी आर की गणना करते समय घटाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। जो राशि अशोध्य ऋण के कारण डूब गया है राजस्व को कम करता है जिसके कारण प्रचालक को हानि होती है। इस राशि को राजस्व नहीं माना जा सकता है और लाइसेंसी को इस पर लाइसेंस शुल्क भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि “बट्टे खाते में डाली गयी अशोध्य ऋणों” की रकम हानि/व्यय का मद है और लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार इस प्रकार की कोई भी हानि/व्यय राजस्व से घटायी (सेट आफ) नहीं जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, टी डी सैट का अगस्त 2007 का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर 2011 के फैसले से अप्रभावी हो गया।

इस प्रकार, “बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण” के ₹ 50.34 करोड़ को जी आर से घटाने के कारण जी आर/ए जी आर को इस राशि तक कम दिखाया गया। परिणामस्वरूप, इस राशि पर एल एफ और एस यू सी की क्रमशः ₹ 4.03 करोड़ और ₹ 0.15 करोड़ राशि का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक 6.10)।

#### **6.4.2 एयरसेल कम्पनी के पैसिव अवसंरचना व्यवसाय को मंदी मूल्य पर चेन्नई नेटवर्क अवसंरचना लिमिटेड (सी एन आई एल) को अंतरण**

वर्ष 2010-11 के दौरान, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 391 से 394 के अन्तर्गत एयरसेल कम्पनीज (ए एल, ए सी एल, डी डब्ल्यू एल) और चेन्नई नेटवर्क अवसंरचना लिमिटेड (सी एन आई एल) के बीच एक व्यवस्था की योजना (एस ओ ए), मंदी के मूल्य पर अपना पैसिव अवसंरचना व्यवसाय हस्तांतरण के लिये माननीय उच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था, मद्रास में दायर की गयी। एस ओ ए 19 जुलाई 2010 से प्रभावी है और इस तिथि से कम्पनियों का पैसिव अवसंरचना का कारोबार अंतरिती कम्पनी (सी एन आई एल) में निहित है।

वर्ष 2010-11 के वित्तीय विवरण के अनुसार उपरोक्त पैसीव अवसंरचना सम्पत्तियां सी एन आई एल को अंतरण कर दिया गया और सम्पत्तियों के अंतरण से प्राप्त लाभ ₹ 1799.97 करोड़ लाभ हानि खाते के अन्य आय में दर्ज किया गया। फिर भी, ₹ 1799.97 करोड़ के लाभ को राजस्व साझेदारी की गणना हेतु जी आर/ए जी आर में विचार नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि पैसिव अवसंरचना की बिक्री, मंदी बिक्री की प्रकृति का है जिससे सम्पूर्ण पी आई व्यवसाय सी एन आई एल को जारी रखने के लिए, सौंप दिया गया। इसलिए उसको स्थायी सम्पत्ति की बिक्री के सदृश/सामान व्यवहार नहीं किया जा सकता। “मंदी बिक्री” एक “उपक्रम” का अंतरण है अर्थात् एक भाग या एक ईकाई या एक कम्पनी का एक भाग है जो कि व्यवसाय गतिविधि का निर्माण करता है जब सम्पूर्ण रूप से लिया गया हो। सरल भाषा में मंदी मूल्य का अर्थ पूरे व्यवसाय ईकाई की, प्रत्येक सम्पत्ति एवं दायित्व के अलग अलग मूल्य निर्धारित किये बिना, एक मूल्य पर अंतरण को कहते हैं। हमारा मत है कि उपक्रम की बिक्री पर लाभ लाइसेंस अनुबंध के

पैरा 19.1 के अन्तर्गत नहीं आता है और इसलिए इसे जी आर/ए जी आर की गणना हेतु विचार नहीं करना चाहिए।

उपरोक्त पर लेखापरीक्षा का मत है कि पैसीव अवसंरचना सम्पत्ति के अंतरण पर लाभ, दूरसंचार लाइसेंस गतिविधि के कारण थी जो अन्य आय में दर्ज की गयी तथा इसलिए लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, ₹ 1799.97 करोड़ का लाभ जी आर/ए जी आर में शामिल होना चाहिए। इस तरह वर्ष 2010-11 में ₹ 1799.97 करोड़ से जी आर/ए जी आर को कम दिखाया गया है और एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 164.89 करोड़ और ₹ 69.60 करोड़ से कम भुगतान किया है (अनुलग्नक 6.11)।

## 6.5 एल एफ एवं एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये प्रकरणों पर (पैरा 6.2 से 6.4) एल एफ एवं एस यू सी के कम/गैर भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 469.98 करोड़ और ₹ 200.87 करोड़ की गणना की गयी थी। एल एफ एवं एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज की गणना ₹ 555.80 करोड़ की गई है (अनुलग्नक 6.12)। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर पर आधारित थी जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के समय स्टेट बैंक आफ इण्डिया की विद्यमान प्राइम लैंडिंग दर से 2 प्रतिशत ऊपर की दर थी तथा गणना हेतु विचार की गयी समयावधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2016 तक थी। लाइसेंस अनुबंध के अनुसार ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया है।

## 6.6 यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III के अन्तर्गत आवश्यक विस्तृत विवरण जमा नहीं करना

यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध का अनुच्छेद 20.7 प्रावधान करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण और राजस्व तथा लाइसेंस शुल्क का विवरण (ए जी आर विवरण) अनुलग्नक में निर्धारित मापदंडों के अनुसार तैयार किया जायेगा। यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध का अनुलग्नक-III वार्षिक वित्तीय विवरणी को तैयार करने हेतु मापदंडों का प्रावधान करता है। ए जी आर विवरणी वार्षिक वित्तीय विवरणी और सम्बन्धित लेखा अभिलेखों जो लेखापरीक्षा को दिये गये थे के परीक्षण से पता चला कि इन सभी मापदंडों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। विशिष्टतया, यह मालूम पड़ता है कि बिक्री कर सेवा कर, छूट/रिबेट माल की बिक्री, इनवेन्टरी, व्यय के विरुद्ध आय का समायोजन और बिल नहीं किये गये संख्याओं के सम्बन्ध में माप दण्डों का पूर्णतया पालन नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर प्रबंधन ने कहा कि यहां यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी का संवैधानिक वित्तीय विवरणी कम्पनी एक्ट के द्वारा शासित किया गया तथा इसलिए यह कम्पनी एक्ट के सम्बन्धित प्रावधानों को कड़ाई से पालन करते हुए तैयार किया गया है। तदनुसार कम्पनी अपने वित्तीय विवरणी कम्पनी एक्ट के प्रकटीकरण की आवश्यकता के अनुसार और लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार कर रही थी। जहां तक यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध अनुच्छेद 20.7 के साथ अनुलग्नक-III के आवश्यकताओं का सम्बन्ध है यह कहा गया था कि कम्पनी के वैधानिक वार्षिक लेखों में कम्पनी एक्ट (अनुसूची-VI) और इंस्टीट्यूट आफ-चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इण्डिया द्वारा जारी लागू लेखा मानकों की आवश्यकतानुसार अन्य प्रकटीकरण को शामिल किया था। यू ए एस/सी एम टी एस के लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III में कही गयी कुछ आवश्यकताएं या तो कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत

आवश्यक नहीं है या लागू लेखा मानक विशेष रूप से ए एस-9 और ए एस-29 में लेखा नियमों के विरुद्ध थी।

आगे कहा गया कि कम्पनी लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III में वर्णित आवश्यक जानकारी अपने पास रखती है जिसे लाइसेंस प्रदाता के निर्देश पर कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रतिवेदन में संज्ञान में लाये गये राजस्व को कम दिखाने के मामले इसकी पुष्टि करेंगे कि लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए पहचाना गया राजस्व लाइसेंस शर्तों के अनुरूप नहीं था और न ही लेखाओं को तैयार करने में डी ओ टी द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया गया था। कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं।

मानक के अनुसार राजस्व को बिना कुछ घटाये सकल दिखाया जाना था। तथापि जैसा इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ में वर्णित है यह देखा जा सकता है कि छूट/कमीशन/वेवर्स, फ्री एयर टाइम आदि को राजस्व से घटा (नेटेड आफ) दिया गया और डी ओ टी को प्रकट नहीं किया गया।

डी ओ टी से, पी एस पी के द्वारा इन संविदा की शर्तों का पालन न करने पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गयी थी। डी ओ टी ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

उपरोक्त को ध्यान रखते हुए डी ओ टी सेवा प्रदाताओं को मानकों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जैसा कि अनुलग्नक III के अन्तर्गत लाइसेंस अनुबंध में आवश्यक है कई वर्षों से आदेश जारी करने तथा लागू कराने में असफल रहा जो कि महत्वपूर्ण था। परिणामस्वरूप, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान कम्पनी ने जी आर/ए जी आर कम दिखाया और डी ओ टी उसका पता नहीं लगा सका।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि में एयरसेल ग्रुप का जी आर ₹ 48939.08 करोड़ था, दावा की गयी कटौतियों ₹ 17984.30 करोड़ था और जी आर की औसत कटौतियों का प्रतिशतता 37 प्रतिशत आगणित की गयी। यद्यपि एयरसेल ग्रुप द्वारा दावा की गयी कटौतियां, कार्यलय नियंत्रक संचार लेखा के द्वारा सत्यापन के अधीन थी केवल सकल राजस्व के 67 प्रतिशत का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा दिये गये स्वंयं प्रकटीकरण के आधार पर डी ओ टी स्तर पर किया गया।

इसके साथ ही डी ओ टी का एल एफ विंग जैसा कि लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III के अनुसार टी एस पी को रखना आवश्यक था सूचना प्राप्त करने में असफल रहा है और इस ऑकड़ों के अभाव/अनुपस्थिति में सत्यापन और निर्धारण कार्य का प्रतिपादन प्रभावहीन होगा।

इस प्रकार सेवा प्रदाता की पूरी राजस्व हिस्सेदारी का मूल्यांकन व सत्यापन उनके जी आर की जगह सेवा प्रदाताओं द्वारा किये गये कटौतियों पर केन्द्रित रहा।

यह भी कि डी ओ टी द्वारा अभी 2012-13 तक कुछ ही लाइसेंस (एल एस ए) के संबंध में सत्यापन और निर्धारण पर लाइसेंस शुल्क का मांग पत्र जारी किया गया है। निर्धारण और मांग पत्र जारी करने में देरी से आगे सेवा प्रदाता से बकाया राशि की वसूली में भी देरी होगी।

#### 6.7 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर डी ओ टी/एयरसेल की प्रतिक्रिया

एयरसेल ग्रुप कम्पनियों द्वारा देय राजस्व साझेदारी पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों को डी ओ टी एवं एयरसेल ग्रुप को अगस्त 2016 के दौरान उनकी प्रतिक्रिया के लिये सूचित कर दिये गये थे। एयरसेल ने वही तर्क और प्रतिक्रिया प्रस्तुत किया था (सितम्बर 2016) जैसा कि परिसर लेखापरीक्षा के दौरान प्रेक्षणों के उत्तर में दिया गया था। डी ओ टी का उत्तर पैरा 2.4 में उल्लिखित है।